तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **ओमप्रकाश विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 263/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-09-2022	अपीलार्थी ओमप्रकाश विश्नोई पुत्र जगदीशराम निवासी केलनसर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.06.2022 में (1) दस्तावेज के अनुसार रोशनी का नाम जिस वोटर लिस्ट में नाम दर्ज वाले पृष्ठ की प्रमाणि प्रति, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1436 दिनांक 31.08.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी फलोदी से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी को कार्यालय के पत्रांक 780 दिनांक 13.06.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। अपीलार्थी के कथनानुसार उपखण्ड अधिकारी फलोदी से पत्र के जरिये सूचना के रूप में छाया प्रति प्राप्त हुई लेकिन वो हस्ताक्षर मय मुहर से प्रमाणित प्रति नहीं थी तथा न ही एक दम साफ व स्वच्छ नजर आ रही है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी)द्वारा जो सूचना प्रेषित की गई वो प्रमाणित नहीं की गई अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना साफ व स्वच्छ मय प्रमाणित सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	